



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।



सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विषयक-आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/146663/2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार, मकान संख्या-171, फेज वसन्त विहार, देहरादून के पत्रांक-NHAI/PIU/VV/2023/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/5128, दिनांक-10.08.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 545/12-1 दिनांक 11.08.2023 द्वारा अपनी आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है:-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रत्युत्तर
1	परियोजना निदेशक भा०रा०रा०प्रा० पी०आई०यू० वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना देहरादून, ऋषिकेश व जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में आने जाने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट, ऋषिकेश एवं थानों रेंज में कुल 19.8345 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 20.600 कि०मी० में से 9.170 कि०मी० भाग वन क्षेत्रान्तर्गत से होकर गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 215 वृक्ष एवं नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 209 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना अन्तर्गत वन्यजीवों/हाथी के आवागमन हेतु 05 ऐलिफेन्ट अण्डरपास प्रस्तावित है। प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि इस रोड़ पर	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि " इस परियोजना निर्माण से कुल 4442 पेड़ प्रभावित होंगे जिनमें से 1085 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौधे (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 3357 होगी। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं के संबंध में आख्या निम्न प्रकार है:- 1. भानियावाला-ऋषिकेश वाया जौलीग्रान्ट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे को देहरादून के सभी तरफ से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस मार्ग के द्वारा चार धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्री एवं ऋषिकेश और मसूरी को जाने वाले पर्यटकों को हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से कनेक्टिविटी प्रदान होती है। इस मार्ग पर वर्तमान समय में यातायात 17000 से 19000 पीसीयू (Passenger Car Unit) तक है। आई०आर०सी० (Indian Road Congress) मानदंडों के अनुसार, दो-लेन राजमार्ग के संरक्षण में ज्योमितीय कमी के कारण सुधार की आवश्यकता है। परियोजना का कार्य पूर्ण होने तक (वर्ष 2026) यातायात और बढ़ जाएगा। साथ ही इस मार्ग हाथियों की आवाजाही रहती है जिससे कई बार यातायात बाधित होता है। उपरोक्त और कई अन्य कारकों के कारण, इस राजमार्ग को 4-लेन मानकों में अपग्रेड करना अति आवश्यक है। 2. पूर्व में कई संरेखणों पर विचार किया जा चुका है (संलग्नक-01), जिसमें से वर्तमान में प्रस्तावित संरेखण को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि इसमें सबसे कम वन भूमि शामिल थी। चूंकि वर्तमान राजमार्ग पहले से ही मौजूद है और वर्तमान राजमार्ग के सामान्तर चौड़ीकरण प्रस्तावित है, इसलिए परियोजना हेतु केवल 10-12 मी० अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता है। 3. एलिफेन्ट हाईवे का विकल्प: वृक्षों के पातन की संख्या कम से कम करने को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में 4-लेन राजमार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम 23 मी० आरओडब्ल्यू लिया गया है, जिसमें हाथी अण्डरपास (EUPs) की चौड़ाई भी 23 मी० ही है। जब की नाप भूमि में 4-लेन चौड़ीकरण हेतु कुल 30-36 मी० का भूमि अधिग्रहण किया गया है। अतः यदि पूर्ण वन क्षेत्र में उन्नत संरचना (Elevated Structure)

I/31905/2023 I/31905/2023	फाइल No. सी.जी.ए. 12 ज 1047/4 प्र 2023 होती है। साथ ही इस परियोजना के चौड़ीकरण में कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0-वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि इस परियोजना के 4-लेन चौड़ीकरण की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संबंध में पुनर्विचार किया जाय।	2 VMM-FOREST DEPT (Computer No. 23310) नहीं आयेगी। 4. वन खंड में लगभग 8 कि0मी0 लम्बाई में 2-लेन से 4-लेन तक चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जिसमें 04 हाथी अण्डरपास कुल 3.060 कि0मी0 की लंबाई में प्रस्तावित किए गये हैं। हाथी अण्डरपास वाले भाग में प्रभावित वृक्षों की संख्या लगभग 1500 (Saplings सहित) है। 5. इसके अलावा इस परियोजना में 1 मेजर ब्रिज, 2 माईनर ब्रिज तथा 19 कलवर्ट का भी प्रावधान वन क्षेत्र में किया गया है, जिससे जंगली जानवर क्रॉस कर सकते हैं। 6. साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 16.04.2022 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त (संलग्नक-02) में इस परियोजना के संरेखण पर वन्य जीवों के सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ लिखित सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त दिनांक 10.02.2021, 28.07.2021 को वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान वन विभाग द्वारा दिये गये सभी की भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा की गयी है। साथ ही साथ वन विभाग द्वारा 09 बार ई0डी0एस0 (संलग्नक-03) का जवाब भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा दिया गया है तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW) के साथ भी दिनांक 07.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) से प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसके उपरान्त विश्व वन्यजीव कोष द्वारा दिये गये सुझावों को भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा परियोजना में सम्मिलित किया गया। 7. अतः यह भी अवगत कराना है कि उक्त संरेखण वन्यजीव एवं वन क्षेत्र पर न्यूनतम प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। "
---	--	---

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार परियोजना निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक:- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 545 / 12-1

देहरादून,

दिनांक

11 अगस्त, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के भानियावाला-जौलीग्रान्त-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विषयक-आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/146663/2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार, मकान संख्या-171, फेज वसन्त विहार, देहरादून के पत्रांक-NHAI/PIU/VV/2023/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/5128, दिनांक-10.08.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना प्रस्तावक विभाग / कार्यदायी संस्था ने अपने पत्रांक-5128, दिनांक 10.08.2023 को इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है:-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रत्युत्तर
1	परियोजना निदेशक भा०रा०रा०प्रा० पी०आई०यू० वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना देहरादून, ऋषिकेश व जौलीग्रान्त एयरपोर्ट में आने जाने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट, ऋषिकेश एवं थानों रेंज में कुल 19.8345 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 20.600 कि०मी० में से 9.170 कि०मी० भाग वन क्षेत्रान्तर्गत से होकर गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 215 वृक्ष एवं नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 209 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना अन्तर्गत वन्यजीवों/हाथी के आवागमन हेतु 05 ऐलिफेन्ट अण्डरपास प्रस्तावित है। प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि इस रोड़ पर	इस परियोजना से कुल 4442 पेड़ प्रभावित हैं जिनमें से 1085 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौधे (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 3357 होगी। 1. भानियावाला-ऋषिकेश वाया जौलीग्रान्त एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जौलीग्रान्त हवाई अड्डे को देहरादून के समीप तरफ से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस मार्ग के द्वारा चार धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्री एवं ऋषिकेश और मसूरी को जाने वाले पर्यटकों को हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से कनेक्टिविटी प्रदान होती है। इस मार्ग पर वर्तमान समय में यातायात 17000 से 19000 पीसीयू (Passenger Car Unit) तक है। आई०आर०सी० (Indian Road Congress) मानदंडों के अनुसार, दो-लेन राजमार्ग के संरक्षण में ज्योमितीय कमी के कारण सुधार की आवश्यकता है। परियोजना का कार्य पूर्ण होने तक (वर्ष 2026) यातायात और बढ़ जाएगा। साथ ही इस मार्ग हाथियों की आवाजाही रहती है जिससे कई बार यातायात बाधित होता है। उपरोक्त और कई अन्य कारकों के कारण, इस राजमार्ग को 4-लेन मानकों में अपग्रेड करना अति आवश्यक है। 2. पूर्व में कई संरक्षणों पर विचार किया जा चुका है (संलग्नक-01), जिसमें से वर्तमान में प्रस्तावित संरक्षण को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि इसमें सबसे कम वन भूमि शामिल थी। चूंकि वर्तमान राजमार्ग पहले से ही मौजूद है और वर्तमान राजमार्ग के सामान्तर चौड़ीकरण प्रस्तावित है, इसलिए परियोजना हेतु केवल 10-12 मी० अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता है। 3. एलिफेन्ट हाईवे का विकल्प: वृक्षों के पातन की संख्या कम से कम करने को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में 4-लेन राजमार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम 23 मी० आरओडब्ल्यू लिया गया है, जिसमें हाथी अण्डरपास (EUPS) की चौड़ाई भी 23 मी० ही है। जब की नाप भूमि में 4-लेन

यातायात कम है एवं जाम की स्थिति नहीं होती है। साथ ही इस परियोजना के चौड़ीकरण में कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0-वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि इस परियोजना के 4-लेन चौड़ीकरण की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संबंध में पुनर्विचार किया जाय।	चौड़ीकरण हेतु कुल 30-36 मी0 का भूमि अधिग्रहण किया गया है। अतः यदि पूर्ण वन क्षेत्र में उन्नत संरचना (Elevated Structure) प्रस्तावित की जाती है, तब भी वृक्षों के पातन की संख्या में कोई कमी नहीं आयेगी। 4. वन खंड में लगभग 8 कि0मी0 लम्बाई में 2-लेन से 4-लेन तक चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जिसमें 04 हाथी अण्डरपास कुल 3.060 कि0मी0 की लंबाई में प्रस्तावित किए गये हैं। हाथी अण्डरपास वाले भाग में प्रभावित वृक्षों की संख्या लगभग 1500 (Saplings सहित) है। 5. इसके अलावा इस परियोजना में 1 मेजर ब्रिज, 2 माईनर ब्रिज तथा 19 कलवर्ट का भी प्राक्धान वन क्षेत्र में किया गया है, जिससे जंगली जानवर क्रॉस कर सकते हैं। 6. साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 16.04.2022 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त (संलग्नक-02) में इस परियोजना के संरेखण पर वन्य जीवों के सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ लिखित सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त दिनांक 10.02.2021, 28.07.2021 को वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान वन विभाग द्वारा दिये गये सभी की भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा की गयी है। साथ ही साथ वन विभाग द्वारा 09 बार ई0डी0एस0 (संलग्नक-03) का जवाब भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा दिया गया है तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW) के साथ भी दिनांक 07.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) से प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसके उपरान्त विश्व वन्यजीव कोष द्वारा दिये गये सुझावों को भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा परियोजना में सम्मिलित किया गया। 7. अतः यह भी अवगत कराना है कि उक्त संरेखण वन्यजीव एवं वन क्षेत्र पर न्यूनतम प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। ”
--	---

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार परियोजना निर्माण को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।
 संलग्नक:कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित सूचना एवं सलग्नक।

भवदीय,
 प्रभागीय वनाधिकारी
 देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:- / तददिनांकित।
 प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
 देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।